प्रकरण संख्या 69/2019 2019/00013 तारीख रजु–20.02.2019

न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी नन्नूमल पहाड़िया, आई.ए.एस.

उनवान

सरकार जरिये तहसीलदार मासलपुर तहसील मासलपुर जिला करौली – प्रार्थी

बनाम

1. ग्राम पंचायत डांडा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत डांडा तहसील मासलपुर
2. ग्राम पंचायत डांडा जरिये ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत डांडा तहसील मासलपुर

– अप्रार्थीगण

रेफरेन्स अंतर्गत धारा 82 भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक–31.07.2019

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि भूमिधारी तहसीलदार मासलपुर ने अप्रार्थीयान के विरूद्ध यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि आराजी खसरा नंबर 836/1076 रकबा 5–17 बीघा, खसरा नंबर 836/1077 रकबा 6–05 बीघा ग्राम ताली तहसील मासलपुर का प्रार्थी लैण्ड होल्डर है। यह कि आराजी खसरा नंबर 836/1076 रकबा 5–17 बीघा, खसरा नंबर 836/1077 रकबा 6–05 बीघा ग्राम ताली सम्वत् 2015 एवं इसके पश्चात् सिवायचक गै.मु. तालाब दर्ज रिकॉर्ड थे परन्तु जमाबन्दी सम्वत् 2019–2022 में "भूमि जो राजकीय अन्य विभागो अथवा किसी जन संस्था के अधिकार में हो, ग्राम पंचायत ठेका देती है" दर्ज कर दी गयी। वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2075 तक में ग्राम पंचायत के अधीन भूमि दर्ज रिकॉर्ड है। यह कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड में दर्ज झील, तालाब, नदी, नाले, जलाशयों आदि की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उद्भूत नहीं होते हैं इस प्रकार से यह अंकित हस्तांतरण अवैध एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य होने से निरस्त योग्य है। डी0बी0 सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 के द्वारा नदी, नाले, जलाशय आदि की भूमि जो दिनांक 15.08.1947 में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है को वापस सरकारी भूमि में दर्ज करने एवं इसके बाद हुए परिवर्तन को अवैध घोषित किए जाने के निर्देश हैं। अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए आराजी खसरा 836/1076 रकबा 5–17 बीघा, खसरा नंबर 836/1077 रकबा 6–05 बीघा ग्राम ताली को सिवायचक गै.मु. तालाब दर्ज किये जाने का निवेदन किया है।

उक्त प्रार्थना पत्र के साथ रिपोर्ट पटवारी, जमाबन्दी सम्वत् 2015, 2019–22, 2068–71, 2072–75 की प्रमाणित प्रति संलग्न की है।

तहसीलदार मासलपुर के उक्त प्रार्थना पत्र रेफरेन्स के इस न्यायालय में प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थीण की गई।

अप्रार्थीगण को कार्यालय द्वारा जारी नोटिस की तामील होने के बावजूद अप्रार्थीगण के असालतन/वकालतन उपस्थित नहीं होने एवं ना ही जवाब पेश करने के कारण इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया। बहस एकपक्षीय सुनी गई।

पैरोकार सरकार का बहस में कथन है कि आराजी खसरा नंबर 836/1076 रकबा 5–17 बीघा, खसरा नंबर 836/1077 रकबा 6–05 बीघा ग्राम ताली सम्वत् 2015 एवं इसके पश्चात् सिवायचक गै.मु. तालाब दर्ज रिकॉर्ड था परन्तु जमाबन्दी सम्वत् 2019–2022 में "भूमि जो राजकीय अन्य विभागो अथवा किसी जन संस्था के अधिकार में हो, ग्राम पंचायत ठेका देती है" दर्ज कर दी गयी। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड में दर्ज झील, तालाब, नदी, नाले, जलाशयों आदि की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उद्भूत नहीं होते हैं इस प्रकार से यह अंकित हस्तांतरण अवैध एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य होने से निरस्त योग्य है। डी0बी0 सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 के द्वारा नदी, नाले, जलाशय आदि की भूमि जो दिनांक 15.08.1947 में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है को वापस सरकारी भूमि में दर्ज करने एवं इसके बाद हुए

जिला कलक्टर
करौली

परिवर्तन को अवैध घोषित किए जाने के निर्देश हैं। अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का कथन किया है।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गंभीरतापूर्वक अवलोकन करते हुए मनन किया। जमाबन्दी संवत् 2015 के अनुसार सिवायचक बिला लगानी आराजी खसरा नंबर 836/1076 रकबा 5–17 बीघा, खसरा नंबर 836/1077 रकबा 6–05 बीघा ग्राम ताली सिवायचक गै.मु. तालाब दर्ज रिकॉर्ड है। जमाबंदी संवत् 2019–22 में अकारण ही उक्त भूमि को "भूमि जो राजकीय अन्य विभागो अथवा किसी जन संस्था के अधिकार में हो, ग्राम पंचायत ठेका देती है" दर्ज कर दिया गया। नकल जमाबन्दी सं0 2072 लगायत 2075 के अनुसार खसरा नंबर 836/1076 रकबा 5–17 बीघा, खसरा नंबर 836/1077 रकबा 6–05 बीघा ग्राम ताली ग्राम पंचायत के अधीन अंकित है। इससे स्पष्ट है कि यह जमीन पूर्व में सिवायचक गै.मु. तालाब दर्ज थी जिसको अकारण ही ग्राम पंचायत के अधीन दर्ज कर दिया गया। चूंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज झील, तालाब, नदी, नाले, जलाशयों आदि की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उद्भूत नहीं होते हैं इस प्रकार यह अंकित हस्तांतरण अवैध एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य होने से निरस्त योग्य है। डी0बी0 सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 02.08.2004 के विस्तृत निर्णय में उल्लेखित किया है कि All the lands shown as drainage channels like nalla, rivers, tributaries etc. as on 15-08-1947 should be declared as Government land. Any conversions made after 15-08-1947 should be declared illegal. The relevant act and rules must be amended accordingly. माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा जनहित याचिका में पारित निर्णय के अनुसार हम इस प्रकरण में वर्णित भूमि आराजी खसरा नंबर 836/1076 रकबा 5–17 बीघा, खसरा नंबर 836/1077 रकबा 6–05 बीघा को वापस राजकीय भूमि सिवायचक गै.मु. तालाब दर्ज किया जाना उचित समझते हैं।

अतः भूमिधारी तहसीलदार मासलपुर का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 L.R. Act 1956 स्वीकार किया जाकर ग्राम ताली की आराजी खसरा नंबर 836/1076 रकबा 5–17 बीघा, खसरा नंबर 836/1077 रकबा 6–05 बीघा को वापस राजकीय भूमि सिवायचक गै.मु. तालाब दर्ज करने की स्वीकृति देने हेतु मूल पत्रावली राजस्व मण्डल अजमेर को प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 31.07.2019 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(नन्नूमल पहाडिया)
जिला कलक्टर
करौली